कवच मॉडल

रोकथाम-आधारित एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं को सशक्त बनाते हुए एक समन्वित और सुदृढ़ बाल संरक्षण मॉडल”

1098 CHILD HELPLINE 24X7

KAWACH

कवच मॉडल

लक्ष्य

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोकथाम-आधारित एवं उपलब्ध प्रणालियों को सुदृढ़ करते हुए यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षित रहें तथा प्रत्येक बच्चा एक सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी सके तथा एक मजबूत बाल संरक्षण प्रणाली स्थापित हो सके

कवच मॉडल के 5 स्तंभ (5 Pillars of KAWACH Model)

1. **पहचान (Identify)**
   जोखिमग्रस्त बच्चों/परिवारों की पहचान

2. **रोकथाम (Prevent)**
   जागरूकता, शिक्षा, सामाजिक निगरानी

3. **संरक्षण (Protect)**
   सुरक्षा तंत्र, केस मैनेजमेंट, रिस्क रेस्पॉन्स

4. **सशक्तिकरण (Empower)**
   बच्चों, परिवारों और समुदाय की क्षमता वृद्धि

5. **संस्थानीकरण (Institutionalize)**
   सरकारी तंत्र में मॉडल का समावेशन

📤 **Outputs (परिणाम)**

- लक्षित क्षेत्र के बच्चों में आत्म-सुरक्षा एवं बाल अधिकारों संबंधी जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि।
- ग्राम स्तर पर सामुदायिक निगरानी एवं संरक्षण तंत्र (जैसे बाल संरक्षण समिति आदि) सक्रिय एवं नियमित रूप से कार्यरत।
- पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र के बीच समन्वय स्थापित तथा नियमित समीक्षा तंत्र संचालित।
- पात्र बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें संबंधित सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से सफलतापूर्वक लिंकेज
- बाल विवाह, बाल श्रम, हिंसा, शोषण एवं स्कूल ड्रॉपआउट जैसे मुद्दों पर समुदाय में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ एवं सुदृढ़।

🛠️ Activities (गतिविधियाँ)

1. संरचनात्मक (System Strengthening)

- ग्राम बाल कल्याण संरक्षण समिति , ब्लॉक बाल कल्याण एवं जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति को क्रियाशील करना
- रिपोर्टिंग को बढ़ावा
- एविडेंस बेस्ड एक्शन
- SMC को एक्टिवेट करना
- जिला स्तर पर कन्वर्जेंस मॉडल
- विभागीय समन्वय तंत्र

2. सामुदायिक (Community Based)

- SHG, ग्राम पंचायत समितियाँ को सक्रिय करना
- समुदाय आधारित निगरानी तंत्र
- बाल सुरक्षा स्वयंसेवक बनाना
- स्थानीय नेतृत्व विकास

3. परिवार आधारित (Family Based)

- पेरेंटिंग सेशन
- जोखिमग्रस्त परिवारों की पहचान
- काउंसलिंग एवं केस वर्क
- बच्चो को चैम्पियन और लीडर बनाना

4. विद्यालय आधारित (School Based)

- स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम
- मीना मंच को सक्रिय करना
- ड्रॉपआउट बच्चों का पुनः नामांकन
- रिटेंशन पर फोकस
- FLN पर जोर

5. सरकारी योजना समावेशन (Scheme Convergence)

- मिशन वात्सल्य
- बाल कल्याण योजनाएँ
- श्रम विभाग की योजनाये
- समाज कल्याण विभाग की योजनाए
- अन्य संभी विभागों के योजना से जुड़ाव

6. क्षमता निर्माण (Capacity Building)

- फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रशिक्षण
- पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग प्रशिक्षण
- पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण
- सामुदायिक लीडर प्रशिक्षण

कवच मॉडल - मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

यह फ्रेमवर्क **Village Tracking, Block Review, District Review** के माध्यम से कवच मॉडल की सतत मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं सुधारात्मक कार्रवाई हेतु तैयार किया गया है।

---

1. Village Level Tracking (ग्राम स्तरीय ट्रैकिंग)

- बच्चों से जुड़े जोखिमों की पहचान CWPC की बैठक द्वारा
- केस ट्रैकिंग
- सेवाओं से लिंकज
- समुदाय आधारित निगरानी व्यवस्था
- मैरिज रजिस्टर
- संभावित बाल विवाह , बाल श्रम की पहचान
- परामर्श सेशन
- कैरियर काउंसलिंग

जिम्मेदारी:

- जोखिम मे रहने वाले बच्चों का मानचित्रण (मैपिंग) करना और आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के लिए बच्चों की जरूरतों का आंकलन करना ।
- बच्चों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दडं , बाल श्रम आदि को हतोत्साहित करना ।
- बाल संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एवं जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0), सामुदायिक लीडर ,पंचायती राज संस्थान (पी0आर0आई0) के सदस्यों ,विद्यालय प्रबंधन समिति (एस0एम0सी0), ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति (वी0एच0एन0एस0सी0) आदि जैसे स्थानीय हितधारकों और कार्यकर्ताओं को शामिल करें ।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति और बच्चों से संबंधित अन्य रेफरल सेवाओं के बीच संबंध बनाए रखें स्पॉन्सरशिप, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमगंला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री बाल बाल श्रमिक विद्या योजना बच्चों और महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर माता-पिता और बच्चों का उन्मुखीकरण करना और संबंधित सरकारी विभागों के साथ जुड़ने को बढ़ावा देना
- आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों को चिन्हित करना और जागरूकता अभियान चलाना और माता-पिता के साथ मिलकर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने का प्रयास करना ।

हितधारक की जिम्मेदारी

- प्रधान- ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों की निगरानी एवं नेतृत्व प्रदान करना।
  सरकारी योजनाओं से बच्चों को जोड़ने में सहयोग करना।
  बैठकों का आयोजन कर निर्णयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

- सचिव- समिति की बैठकों का अभिलेख (रजिस्टर/मिनट्स) संधारित करना।
  निर्णयों एवं कार्यवाही को संबंधित विभागों तक पहुंचाना।
  पंचायत डायरी में बाल संरक्षण से जुड़ा डेटा संकलित करने में सहयोग देना

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- बैठक का आयोजन करना सभी मेम्बर को बैठक की सूचना देना बाल विवाह या शोषण के मामलों की पहचान कर सूचना देना।सरकारी योजनाओं से पात्र बच्चों को जोड़ने में सहयोग करना।

- ASHA- बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना। टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जोखिम में बच्चों की जानकारी समिति को देना।

- स्कूल शिक्षक- स्कूल में बच्चों की उपस्थिति एवं व्यवहार पर नजर रखना।
  ड्रॉपआउट, बाल श्रम या बाल विवाह के मामलों की पहचान करना।
  बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।

- CPC सदस्य- ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण गतिविधियों का समन्वय करना।
  जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान एवं फॉलोअप सुनिश्चित करना।
  समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाना।

- SHG प्रतिनिधि- महिला समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।
  आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजनाओं से जोड़ना।
  समुदाय में सकारात्मक सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।

टूल्स:

- पंचायत डायरी- इसका उदेश्य मिशन वात्सल्य योजना का सफल क्रियान्वयन तथा देखभाल एव सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चो कमजोर और निराश्रित परिवारों के बच्चो कठिन परिस्थितियों मे फंसे बच्चों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोडने के लिए डाटा का उपयोग किया जाएगा। ताकि एकत्र की गयी जानकारी के आधार पर पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर कार्ययोजना का निर्माण किया जा सके एवं प्रत्येक बच्चे का सर्वोत्तम हित हो सके।

2. Block Level Review (ब्लॉक स्तरीय समीक्षा)

- ग्राम स्तर की बैठक प्रगति की समीक्षा
- केस समाधान की स्थिति
- विभागीय समन्वय
- DCPU को रिपोर्ट जमा करना

जिम्मेदारी:

- ब्लॉक बाल संरक्षण समिति का शासनादेश के अनुसार गठन करना ।
- ब्लॉक बाल संरक्षण समिति की नियमित त्रैमासिक बैठक आहूत करना ।
- ब्लॉक बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का बाल संरक्षण के मुद्दे पर क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला आयोजित करना ।
- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सी0एन0सी0पी0) और कानून के उल्लंघन वाले बच्चों (सी0सी0एल0) के संदर्भ में बच्चों की आवश्यकता आंकलन और मानचित्रण (मैपिंग) करना।
- बाल संरक्षण के मुद्दों पर ग्राम बाल संरक्षण समिति और सरकारी विभाग की अन्य सामुदायिक स्तर की संरचनाओं/समितियों जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति (एस0एम0सी0), ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति (वी0एच0एन0एस0सी0), स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना ।
- बच्चों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दडं , बाल श्रम आदि को हतोत्साहित करना।

- आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों को चिन्हित करना और माता-पिता के साथ मिलकर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने का प्रयास करना तथा इस विषय पर जागरूकता अभियान।
- जन्म पंजीकरण, आधार कार्ड पंजीकरण, स्कूल नामांकन, प्रवासी रजिस्टर रखरखाव आदि जैसी अच्छे अभ्यासों को बढ़ावा देना ।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा (बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी, दुर्व्यवहार और शोषण) के मामलों को रिपोर्ट करें और जरूरतमंद बच्चों को वित्तीय सहायता एवं अन्य आवश्यक सहायता हेतु उच्च स्तर के अधिकारियों जैसे जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा हेल्पलाइन नंबर जैसे कि चाइल्डलाइन-1098, पुलिस-112, महिला हेल्पलाइन-181, वीमेन पॉवर लाइन-1090 के पास रेफर करें ।स्थानीय स्तर पर बच्चों और किशोरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना ।
- बच्चों और किशोरों के मुद्दों पर समुदाय के सदस्यों/युवाओं को संगठित करना ।

4. मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स (Monitoring Indicators)

ग्राम स्तर:

- चिन्हित जोखिम बच्चों की संख्या
- केस रजिस्ट्रेशन
- फॉलोअप प्रतिशत
- स्कूल ड्रॉपआउट दर

1. ग्राम पंचायत स्तर के CWPC का डेटा संधारण

- **ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों के CWPC (Child Welfare & Protection Committee) का अद्यतन डेटा रिकॉर्ड किया जाए।**
- **प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण से संबंधित मामलों का विवरण नियमित रूप से संधारित किया जाए।**
- **डेटा संधारण के लिए पंचायत डायरी (Panchayat Diary) का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए।**

2. BCWPC बैठक में मुद्दों पर चर्चा एवं समाधान

- **पंचायत डायरी में दर्ज सभी मामलों की BCWPC बैठक में समीक्षा की जाए।**
- **प्राथमिकता वाले मामलों पर तत्काल निर्णय एवं विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाए।**
- **संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।**

3. कार्यवाही का अभिलेखीकरण एवं साझा करना

- **BCWPC बैठक का कार्यवृत्त (Minutes of Meeting) तैयार किया जाए।**
- **पंचायत डायरी से संकलित डेटा को समेकित कर ब्लॉक स्तर की रिपोर्ट तैयार की जाए।**
- **सभी कार्यवाही एवं प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से DCPU (District Child Protection Unit) के साथ साझा की जाए।**
- **आवश्यक मामलों को जिला स्तर (DCPC बैठक) में प्रस्तुत किया जाए।**

जिला स्तर - DCPC की नियमित त्रैमासिक बैठक (Quarterly Meeting)

जिला स्तर पर DCPC (District Child Protection Committee) की नियमित त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा एवं समीक्षा की जाए:

1. **CWPC द्वारा प्रस्तुतीकरण**
    - **ब्लॉक स्तर पर आयोजित BCWPC (Block Child Welfare & Protection Committee) की बैठकों की स्थिति**
    - **आयोजित बैठकों की संख्या, उपस्थिति एवं प्रमुख निर्णय**
    - **बैठक कार्यवृत्त (Minutes of Meeting) की समीक्षा**
2. **बाल संरक्षण मुद्दों की समीक्षा**
    - **बाल विवाह, बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार, हिंसा, शोषण, उपेक्षा एवं ड्रॉपआउट से संबंधित मामलों की स्थिति**
    - **चिन्हित एवं निराकृत मामलों की संख्या**
    - **लंबित मामलों की स्थिति एवं कार्यवाही प्रगति**
3. **बाल संरक्षण संबंधित केस डेटा प्रस्तुतीकरण**
    - **केस रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, रेस्क्यू, पुनर्वास एवं स्कीम से लिंकज की स्थिति**
    - **CDPO / DCPU द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट**
4. **योजना (Schemes) से संबंधित डेटा प्रस्तुतीकरण**
    - **बाल संरक्षण से जुड़ी सरकारी योजनाओं में लाभान्वित बच्चों की संख्या**
    - **पात्र बच्चों का चिन्हांकन एवं लिंकज की प्रगति**

5. **सभी संबंधित विभागों से मानक प्रारूप (Standard Format) में डेटा संकलन**

  - **शिक्षा विभाग**
  - **श्रम विभाग**
  - **पुलिस विभाग**
  - **महिला एवं बाल विकास विभाग**
  - **स्वास्थ्य विभाग**
  - **समाज कल्याण विभाग**
  - **पंचायती राज**
  - **कौशल विकास**

6. **कार्ययोजना**

- ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठको को नियमित रूप से आयोजित करने हेतु समस्त प्रधान,सचिव व आंगनवाड़ी को निर्देशित करना
- ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठको हेतु रोस्टर तैयार करना
- VHND के साथ CWPC की बैठको का आयोजन सुनिश्चित करना
- सभी बैठको का बैठक कार्यवाही लिखना साथ ही ब्लॉक की समिति में सभी चिन्हित मामलो पर चर्चा करना और बैठक कार्यवाही शामिल करते हुए रिपोर्ट DCPU के साथ साझा करना
- **सभी विभागों से एक निर्धारित एवं स्वीकृत *Standard Reporting Format* में डेटा प्राप्त किया जाए, जिससे समीक्षा, मॉनिटरिंग एवं निर्णय प्रक्रिया प्रभावी एवं पारदर्शी हो सके।**
- **समिति में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य जिम्मेदारी के लिए अलग से SOP तैयार करना**
- **ग्राम पंचायत विकास योजना में बाल संरक्षण हेतु बजट का प्राविधान**
- **NGO की भूमिका ग्राम , ब्लॉक और जिला स्तर पर सहयोग हेतु SOP का निर्माण**

- **रिपोर्टिंग फ्लो (Reporting Flow)**

सीडब्ल्यूपीसी (CWPC) **बैठक एवं रिपोर्टिंग प्रणाली - जनपद बलरामपुर**

1. **ग्राम पंचायत स्तर**

- प्रधान की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूपीसी (CWPC) की बैठकें VHND के साथ **समाहित करते हुए** नियमित रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाएंगी।
- बैठक में निकले केस को पंचायत डायरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंकित किया जायेगा और समिति द्वारा निरंतर फॉलोअप किया जायेगा
- बैठक की कार्यवाही (Minutes of Meeting) पंचायत सचिव/सदस्य सचिव द्वारा तैयार की जाएगी।

- बैठक से संबंधित समस्त जानकारी एवं डेटा जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) को प्रेषित किया जाएगा।

3. **ब्लॉक स्तर पर रिपोर्टिंग (**ICDS)

- ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) सीडब्ल्यूपीसी बैठकों एवं बाल संरक्षण से संबंधित आंकड़े पंचायत डायरी के माध्यम से सीडीपीओ (Child Development Project Officer) को उपलब्ध कराएंगी।
- सीडीपीओ द्वारा ब्लॉक स्तर से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO), आईसीडीएस को भेजा जाएगा।

4. **जिला स्तर पर संकलन**

डीपीआरओ द्वारा निगरानी

- डीपीआरओ द्वारा कि किन-किन ग्राम पंचायतों में सीडब्ल्यूपीसी की बैठकें आयोजित हो रही हैं या नही हुई इसकी रिपोर्टिंग पंचायत सचिव द्वारा डीपीआरओ को भेजी जाएँगी
- यदि किसी ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित नहीं होती है, तो संबंधित ग्राम प्रधान को नोटिस/पत्र जारी किया जाएगा ताकि बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा सकें।

5. **महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय**

- डीपीओ, आईसीडीएस सभी ग्राम पंचायतों का संकलित डेटा डीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) के साथ साझा करेंगे। इसी तरह जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्राप्त आकडे को डीपीओ, महिला एवं बाल विकास के साथ साझा करेंगे।

6. DCPC **की बैठक में समीक्षा**

- जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समस्त सम्बंधित विभागों से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त आकड़ो को DCPC **में प्रस्तुत करेंगे**
- साथ ही बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्ययोजना तैयार करेंगे

NGO की भूमिका ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बाल संरक्षण समितियों में

1 ग्राम स्तर – CWPC (Child Welfare & Protection Committee)

- ग्राम स्तर पर बच्चों से संबंधित समस्याओं की पहचान करना
- बाल विवाह, बाल श्रम, शोषण, हिंसा आदि मामलों की सूचना संबंधित विभाग को देना
- पंचायत डायरी में बच्चों से जुड़ा डेटा संधारित करने में सहयोग
- सरकारी योजनाओं से बच्चों का जुड़ाव सुनिश्चित करना
- समुदाय को बाल अधिकार एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करना
- जोखिमग्रस्त बच्चों की निगरानी एवं समय पर हस्तक्षेप

2 ब्लॉक स्तर – BCWPC (Block Child Welfare & Protection Committee)

- सभी ग्राम पंचायतों की CWPC की गतिविधियों का समन्वय
- ग्राम स्तर से प्राप्त मामलों की समीक्षा एवं समाधान पर कार्यवाही
- मासिक/त्रैमासिक बैठक में बाल संरक्षण मुद्दों पर चर्चा
- विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
- ब्लॉक स्तर पर डेटा संकलन एवं रिपोर्टिंग
- आवश्यक मामलों को जिला स्तर (DCPC) को संदर्भित करना

3 जिला स्तर – DCPC (District Child Protection Committee)

- जिले में बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहयोग
- ब्लॉक स्तर से प्राप्त मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा
- बाल संरक्षण से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहभागिता
- विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना
- जिला स्तर पर प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन में सहयोग
- गंभीर मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्राधिकरण से समन्वय

परिवर्तन की श्रृंखला (Change Pathway)

गतिविधियाँ → सामुदायिक जागरूकता → सामाजिक व्यवहार परिवर्तन → सुरक्षा तंत्र सक्रिय → जोखिम की पहचान → समय पर हस्तक्षेप → संस्थागत संरक्षण → सुरक्षित बचपन

Impact (दीर्घकालिक प्रभाव)

- बाल शोषण में कमी
- सुरक्षित समुदाय
- सशक्त परिवार
- जिम्मेदार संस्थान
- संवेदनशील शासन प्रणाली
- बाल अधिकार आधारित समाज

अनुमोदन

बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु रोजा संस्थान द्वारा रोकथाम-आधारित प्रस्तावित '**कवच मॉडल**' को अनुमोदित किया जाता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा, निगरानी एवं सरकारी योजनाओं से प्रभावी जुड़ाव सुनिश्चित हो सके।"

जिला प्रोबेशन अधिकारी जनपद बलरामपुर	जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद बलरामपुर	"जिला पंचायती राज अधिकारी जनपद बलरामपुर

दिनांक- 10-03-2026